



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

फोन नं. 01552-294199 ई-मेल dlsal6hanumangarh@rajasthan.gov.in

-अधिकार मित्र/पैरालीगल वॉलन्टीयर की नियुक्ति हेतु आम सूचना:-

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये Scheme for Para legal volunteers (Revised) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार हेतु 18 अधिकार मित्र/पैरालीगल वॉलन्टीयर्स (पीएलवी) के पदों पर प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 18 अधिकार मित्र/पैरालीगल वॉलन्टीयर्स का मुख्यालयवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. हनुमानगढ़	-	7
2. नोहर	-	1
3. भादरा	-	1
4. संगरिया	-	3
5. रावतसर	-	4
6. पीलीबंगा	-	1
7. टिब्बी	-	1

- शैक्षणिक योग्यता :-** आवेदक का शिक्षित होना आवश्यक है। आवेदक 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा उसके पास लोगों की बात समझने की सूझ-बूझ होनी आवश्यक है।
- आवेदन पत्र :-** आवेदन पत्र हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभ्यर्थी अपना आवेदन जरिये डाक एवं व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा करवा सकते हैं।
- प्रशिक्षण :-** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण दिया जावेगा, प्रशिक्षण के पश्चात् पीएलवी की लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा ली जावेगी, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त अधिकार मित्र/पीएलवी माना जाएगा।
- चरित्र :-** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- शारीरिक योग्यता :-** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष, जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जायें :-**
 - जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
 - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 - आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
 - जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - आवेदन पत्र के साथ दो डाक लिफाफे साईज 10 गुणा 24 से.मी. आकार के 5/-रुपये के डाक टिकट व स्वयं के पूर्ण पता सहित।

- आवेदन की अंतिम तिथि :-** आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ में दिनांक 10.02.2026 तक पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा व उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

"Help the Needy - Timely Help May Create History"



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

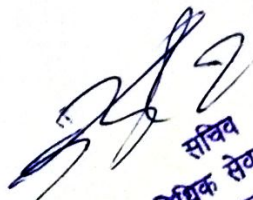
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल dlsa16hanumangarh@rajasthan.gov.in

8. **पात्रता :-** अधिकार मित्र/पीएलवी नियुक्ति हेतु अगर अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें शोर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जावेगा। शोर्ट लिस्टिंग का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), हनुमानगढ़ के पास निहित होगा। पीएलवी के लिये निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हो सकते हैं :-

1. शिक्षक (सेवानिवृत्त / सेवारत)
2. सेवानिवृत्त सरकारी सेवक
3. वरिष्ठ नागरिक
4. समाज कल्याण में परास्नातक स्तर के छात्र/छात्रा तथा शिक्षक
5. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
6. चिकित्सक
7. विद्यार्थी तथा कानून के विद्यार्थी (अधिवक्ता के रूप में नामांत्रण से पूर्व)
8. गैर राजनीतिक संस्था के सदस्य जो सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य।
9. अस्थानीय महिला सदस्य मण्डल के सदस्य तथा स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
10. शिक्षित बंदी जो लम्बे समय से सजा काट रहा हो तथा उसका व्यवहार अच्छा हो।
11. HIV के साथ जी रहे लोग तथा उच्च जोखिम समुदाय एवं ट्रांसजेन्डर्स।
12. महिला
13. अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम एवं योग्य समझे।
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला संवर्ग के सदस्य।

9. **चयनित अधिकार मित्र/पीएलवी के कर्तव्य (ड्यूटी):-**

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
2. विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहकर निर्देशानुसार सेवाएं प्रदान करना।
3. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
4. पीएलवी अपने सम्पर्क में आने वाले लोगों का विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रसार करने में कोई कसर नहीं रखेगा। केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद पीएलवी निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा।
5. प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएगा।
6. लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।
7. पीएलवी द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
8. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बावत् जानकारी देना।
9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल की विजिट करना एवं कारागृह में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
10. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था अथवा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़

"Help the Needy - Timely Help May Create History"

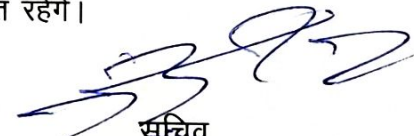


कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़

फोन नं. 01552-294199 ई-मेल dlsa16hanumangarh@rajasthan.gov.in

11. विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि-लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में जानकारी देना एवं उनकी उपयोगिता बताना।
 12. स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण के संबंध में आमजन को जानकारी देना।
 13. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये किसी भी कार्य का निष्पादन करना।
10. **अंतिम तिथि :-** आवेदनकर्ता निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ में दिनांक 10.02.2026 सांय 5.00 बजे तक जमा करवा सकता है। आवेदन निःशुल्क होगा।
11. **स्पष्टीकरण :-** अधिकार मित्र/पैरालीगल वॉलन्टीयर के लिए कोई तनखाह, मासिक भुगतान अथवा मजदूरी नहीं है। उन्हें समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियत मानदेय का भुगतान किया जाएगा। चयनित पीएलवी को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जावेगा। अधिकार मित्र/पैरालीगल वॉलन्टीयर किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा या सरकारी नियुक्ति नहीं है यह सिर्फ व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली स्वैच्छिक सेवाएं हैं। चयनित अधिकार मित्र/पीएलवी स्वयं को किसी भी प्रकार से सरकारी कर्मचारी नहीं समझेगा तथा न ही वह किसी प्रकार का क्लेम करेगा।
- साक्षात्कार व उपरोक्त के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाएँ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ के नोटिस बोर्ड व जिला एवं सेशन न्यायालय, हनुमानगढ़ की वेबसाईट पर अवलोकन हेतु जारी की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति लगातार उपरोक्त के सम्पर्क में रहें।
12. **निम्नलिखित व्यक्ति अधिकार मित्र/पैरालीगल वॉलन्टीयर हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं है :-** अधिवक्तागण, राजनैतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता, किसी अपराध का अभियुक्त, मानसिक रूप से पीएलवी का कार्य करने में असक्षम व ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्ति हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वॉलन्टीयर स्कीम के हितों को प्रभावित करते हों।
13. **पीएलवी को हटाने का अधिकार :-** पीएलवी की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़ के पास सुरक्षित रहेंगे।


 सचिव
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 हनुमानगढ़

डीएलएसए/पीएलवी नियुक्ति/2026/564-578

दिनांक:-29-01-26

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़।
3. अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति समस्त, हनुमानगढ़।
4. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर/पीलीबंगा/टिब्बी।
7. जिला कारागृह, हनुमानगढ़।
8. उप जिला कारागृह, नोहर/भादरा।



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र भवन, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़
फोन नं. 01552-294199 ई-मेल dlsal6hanumangarh@rajasthan.gov.in

9. थानाधिकारी, पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन/सदर थाना/महिला पुलिस थाना/हनुमानगढ़ टाउन।
10. अध्यक्ष, बार संघ, पीलीबंगा/हनुमानगढ़/नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर/टिब्बी।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय हनुमानगढ़ को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़।
13. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय/बार संघ/कलेक्ट्रेट/जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
14. नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति, नोहर/भादरा/रावतसर/पीलीबंगा/टिब्बी संगरिया।
15. नोटिस बोर्ड, बार संघ, नोहर/भादरा/संगरिया/रावतसर/पीलीबंगा/टिब्बी।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
हनुमानगढ़



पैरालीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. विवाहित/अविवाहित
4. जाति
5. संवर्ग
6. जन्म तिथि
7. शैक्षणिक योग्यता
8. विशेष योग्यता
9. अनुभव
10. जहाँ आवेदक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हो
(जिला स्तर/ग्राम स्तर/ताल्लुका स्तर)
11. स्थायी पता
12. वर्तमान पत्राचार का पता
13. दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर
14. यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए
15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एनजीओ या किसी अन्य विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें
16. यदि आवेदक पीएलवी के रूप में कार्य कर चुका है तो विवरण लिखें

पासपोर्ट साईज
फोटो स्वयं के
हस्ताक्षरयुक्त

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं, सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। मैं किसी भी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

"Help the Needy - Timely Help May Create History"